

श्री रवीन्द्र कुमार, जिलाधिकारी उन्नाव की अध्यक्षता में दिनांक 05.03.2021 को पन्नालाल सभागार में सम्पन्न हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1. श्री राकेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) उन्नाव।
2. श्री राकेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) उन्नाव।
3. श्री सत्यप्रिय सिंह, उपजिलाधिकारी, सदर।
4. श्री दिनेश कुमार, उपजिलाधिकारी, बांगरमऊ।
5. श्री राजेश प्रसाद, उपजिलाधिकारी पुरवा।
6. श्री प्रदीप वर्मा, उपजिलाधिकारी हसनगंज।
7. श्री राजेन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी सफीपुर।
8. श्री दयाशंकर, उपजिलाधिकारी, बीघापुर।
9. श्री अंकित शुक्ला, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम, उन्नाव।
10. श्री आत्मा स्वरूप श्रीवास्तव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय, उन्नाव।
11. श्री ओम प्रकाश शुक्ला, तहसीलदार सदर, उन्नाव।
12. श्री नरेन्द्र कुमार यादव, तहसीलदार पुरवा।
13. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तहसीलदार सफीपुर।
14. श्रीमती रश्मि सिंह तहसीलदार बांगरमऊ।
15. श्री चन्द्रशेखर शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट उन्नाव।

बैठक में विचार विमर्श व समीक्षा के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये :-

राजस्व वाद

राजस्व वादों का माह फरवरी, 2021 में 26199 वादों के सापेक्ष 4010 वादों का निस्तारण किया गया। माह के अन्त में 1059 वाद पाँच वर्ष से अधिक पुराने लम्बित पाये गये। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का अभियान चलाकर शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाय और पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों की संख्या शून्य की जाये। माह फरवरी, 2021 में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम द्वारा 06, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा 02 इसी प्रकार उपजिलाधिकारी सदर उन्नाव 56, उपजिलाधिकारी पुरवा 69, उपजिलाधिकारी सफीपुर 23, उपजिलाधिकारी हसनगंज 77, उपजिलाधिकारी बीघापुर 61, उपजिलाधिकारी बांगरमऊ द्वारा 63 वाद निस्तारित किये गये हैं। उप जिलाधिकारी सदर व सफीपुर को निर्देशित किया गया कि मानक के अनुसार प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। तहसीलदार न्यायिक सफीपुर, ना०तह० पुरवा, असोहा, हिलौली, सफीपुर, एफ०-84, मोहान, ना०तह० औरास, अजगौन, आसीवन, ना०तह० बीघापुर, ना०तह० सुमेरपुर द्वारा भी लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण नहीं किया गया। निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

स्टाम्प वाद-

स्टाम्प वाद के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा 16 वाद धनराशि 7.25 लाख व सहायक स्टाम्प आयुक्त द्वारा 18 वाद धनराशि 7.58 लाख का निस्तारण किया गया है। निर्देशित किया गया कि लम्बित वादों का विशेषकर पुराने वादों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये।

(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी/सहायक आयुक्त स्टाम्प)

122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही

इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों में 2517 के सापेक्ष कुल 391 वाद निस्तारित किये गये, 2126 वाद अवशेष हैं। सभी तहसीलदारों के न्यायालय में काफी संख्या में वाद लम्बित हैं। निस्तारण की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत ध्यान देकर लम्बित वादों का निस्तारण करते हुए अभियान चलाकर बेदखली की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाये एवं स्थलीय निरीक्षण कर वाद को त्वरित निस्तारित करना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही- समस्त तहसीलदार)

राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित वरासत

राजस्व संहिता के अन्तर्गत आलोच्य माह में 5229 मामले दर्ज होने योग्य पाये गये, जिनमें समस्त मामलों में वरासत दर्ज कर उद्धरण खतौनी वितरित की गयी है। निर्देशित किया गया कि लम्बित

मामलों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। वरसत सम्बन्धी आदेश आर0-6 रजिस्टर पर तो दर्ज हो रहा होगा किन्तु यह भी देख लें कि आदेश आर0-6 से खतौनी पर दर्ज हो रहा है या नहीं।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार)

राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित दाखिल खारिज-

राजस्व संहिता के अन्तर्गत अविवादित दाखिल खारिज के 8400 वादों के सापेक्ष 3347 वादों का निस्तारण किया गया है तथा 314 वाद आपत्ति के कारण विवादित की श्रेणी में आने के कारण माह के अन्त में 4739 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि दाखिल खारिज के वादों का निस्तारण समयान्तर्गत सुनिश्चित करें, तथा अमलदरामद भी समय से करा लिया जाये। 45 दिन के बाद अविवादित वाद अवशेष नहीं रहने चाहिए।

(कार्यवाही- समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार व रा0निरीक्षक)

आवंटन:-

कृषि, आवास स्थल, कुम्हारी कला, वृक्षारोपण आवंटन का लक्ष्य पूरा है।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब, पोखरो आदि से हटाये गये अतिक्रमण/अवैध कब्जे-

तालाब, पोखरों आदि में अतिक्रमण हटवाने के कुल 1937 मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें से 1928 अवैध कब्जे हटवा दिये गये हैं। अवशेष 09 अवैध कब्जों को हटवाने के साथ-साथ समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में भी किसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब, पोखरों आदि पर अवैध कब्जा न होने पाये।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार)

122 बी के नियम 115 सी के अन्तर्गत हर्जाना वसूली-

इस मद में कुल 1124 मामलों में 1,68,82,921/- के सापेक्ष 80 मामलों में 3,25,796/- की वसूली की गयी है। वसूली हेतु 1044 मामले व धनराशि मु0 1,65,57,125/- अवशेष है। समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों व शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवशेष सभी मामलों में बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- समस्त तहसीलदार)

वसूली-

मुख्य देय की 26.98लाख के सापेक्ष 24.28 लाख की वसूली की गयी है। विविध देय का मासिक संग्रह गत वर्ष के मासिक संग्रह की अपेक्षा काफी कम है, जबकि विगत समय में वसूली स्थगित थी और 05 फरवरी, 2021 से वसूली आरम्भ हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में वसूली गत वर्ष की क्रमिक वसूली से अधिक होनी चाहिए थी। यह नितांत आपत्तिजनक है। तहसीलदार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायें। क्रमिक वसूली का अन्तर इस माह पूरा किया जाये। सी0आर0ए0 को निर्देशित किया गया कि वसूली का साप्ताहिक विवरण पत्र प्रस्तुत करें। कम वसूली करने वाले तहसीलदारों को कारण बताओं नोटिस जारी कराया जायें।

प्रत्येक आर0सी0/अमीनवार उपजिलाधिकारी स्वयं समीक्षा करें। आर0सी0 का मिलान अवश्य कराया जाये। समस्त उपजिलाधिकारी एक लाख से बड़े बाकीदारों की फाइल तैयार करा लें। टॉप-10 फाइलें अद्यावधिक रखी जायें। तहसील जाने पर टॉप-10 फाइलें अवश्य देखी जायेगी।

(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी/सी0आर0ए0)

जालसाली प्रकरण -

निर्देशित किया गया कि समस्त उपजिलाधिकारी अपनी तहसील क्षेत्रान्तर्गत जांच कराये तथा जाल-साजी के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)

आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण-

आई0जी0आर0एस0 के पोर्टल को प्रतिदिन खोलकर देखते रहे, शिकायतें मार्क करने में विलम्ब न किया जाये। लम्बित शिकायतों को समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करें किसी भी स्थिति में निर्धारित समयवधि के उपरान्त शिकायतें लम्बित नहीं रहनी चाहिए। शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं है। शिकायत व उसपर आख्या का सम्यक परिशीलन करके उसपर पूर्णतया सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही आख्या को अनुमोदित किया जाये। लम्बित प्रकरणों में तत्काल ससमय निस्तारण हेतु

सम्बन्धित को जिलाधिकारी महोदय के स्तर से पत्र जारी कराया जाये। प्रत्येक बुधवार को खण्ड विकास अधिकारी व शुक्रवार को उपजिलाधिकारी व अधिशाषी अधिकारी बैठक में आते हैं। आई0जी0आर0एस0 के लम्बित प्रकरणों की सूची उक्त बैठक में प्रस्तुत की जाये, ताकि प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जा सके।

(कार्यवाही- प्रभारी अधिकारी शिकायत/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार)

रिट याचिकायें-

माह तक मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित 41 रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। रिट के प्रकरणों में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करें, रिट में जो समयसीमा तय की गयी है, उसके अन्तर्गत प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिन मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हो चुके हैं, उन्हें महाधिवक्ता की वेब साइट पर अद्यावधिक करा दिया जाये। बार-बार कहने के बावजूद रिट के निस्तारण में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। निर्देशित किया गया कि समस्त रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर वेबसाइट पर स्थिति शून्य की जाये। यदि प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल नहीं किये गये तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही- प्र0अधि0रिट/समस्त उप जिलाधिकारी/स0अभि0अधि0तहसीलदार/रिट लिपिक)

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन-

विभाग द्वारा माह में 243 निरीक्षण, 45 छापे व 45 नमूना संग्रहण किया गया है तथा योजित वाद 23 है। विवरण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्थिति सामान्य है। विशेष रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। औषधि निरीक्षक द्वारा माह में 12 निरीक्षण 01 छापा तथा 08 नमूना संग्रहण, 04 चेतावनी, 04 लाईसेन्स निलम्बन व 03 लाईसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। अभियान चलाकर निरीक्षणों में गति लायी जाये तथा प्रभावी ढंग से प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी/अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन)

विभागीय कार्यवाही-

भूलेख अधिष्ठान के अन्तर्गत श्री राम किशोर श्रीवास्तव र0का0, श्री छेदी लाल रांनि०, श्री राजेश कुमार लेखपाल, श्री सन्तोष साहू लेखपाल, श्री मनीष यादव लेखपाल, श्री दिनेश चन्द्र लेखपाल, श्री रामप्यारे लेखपाल व श्री नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित है। लम्बित सभी विभागीय कार्यवाहियों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये।

(कार्यवाही-अतिरिक्त मजि०, उपजिलाधिकारी सफीपुर, तहसीलदार सदर, सफीपुर व हसनगंज/ना0तह0 बीघापुर)

रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला-

सन् 1416 फ0 से 1421 फ0 तक की 37 खतौनियां शेष हैं। समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि अवशेष खतौनियों में समयान्तर्गत कार्यवाही कराकर शत प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही- प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार/समस्त तहसीलदार)

पत्रावलियों का दाखिला-

जनपद में निर्णीत कुल पत्रावलियों में 17270 पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है। समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निस्तारण के एक माह के बाद पत्रावलियां प्रत्येक दशा में तत्काल राजस्व अभिलेखागार में दाखिल करा दी जायें तथा जो पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है उनको भी तत्काल दाखिल कराया जाये।

(कार्यवाही- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/ना0तह0/डी0डी0सी0/ब0अधि0चकबन्दी/रा0अभि0रक्षक)

जनसूचना-

जनसूचना के 125 प्रकरण व अपीलों के 55 प्रकरण लंबित है। निर्देशित किया गया कि इन लम्बित प्रकरणों में समय से आवेदको को सूचना देकर लम्बित प्रकरण शून्य किया जाये।

(कार्यवाही- समस्त तहसीलदार/सम्बन्धित पटल सहायक)

एन्टी भू-माफिया

एन्टी भू-माफिया के प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तहसीलों से भू-माफियाओं से सम्बन्धित शिकायतें आती रहती हैं। समस्त उपजिलाधिकारी भू-माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करें।

(कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/सम्बन्धित पटल सहायक)

इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है:-

1. वरासत के मामलों में राजस्व निरीक्षक स्तर पर 51 पेंडिंग है।
2. समस्त उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जहां ड्रोन सर्वे हो रहा है वहां प्रारूप-5 अवश्य पूरा कर लिया जाये।
3. तहसीलदारों के न्यायालय में अविवादित वरासत के मामले लम्बित नहीं रहने चाहिए।

अन्त में बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को उपरोक्तानुसार दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन गम्भीरता से सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या- 3099/रा०सहा०/समीक्षा बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 17 मार्च, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रेषित करे।

1. अपर जिलाधिकारी, न्यायिक, उन्नाव।
2. उप संचालक चकबन्दी, उन्नाव।
3. नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
4. प्रभारी अधिकारी(सं०का०)/नजारत/राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार/न्याय अभिलेखागार/रिट/जनसूचना /आयुध।
5. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद उन्नाव।
6. अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय, उन्नाव।
7. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं समस्त ए०सी०ओ० (द्वारा एस०ओ०सी०)।
8. जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव।
9. अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उन्नाव।
10. सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उन्नाव को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बन्धित पटल सहायकों यथा सी०आर०ए०, एल०आर०सी०, डी०एल०आर०सी०, सामान्य लिपिक, शिकायत लिपिक, नाजिर सदर, जन सूचना लिपिक, रिट लिपिक को दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
उन्नाव।